न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 3 / 33 / 2025 दायर दिनांकः– 23 / 07 / 2025

जीसीएमएस नं0:–2025 / 343 निर्णय दिनांकः– 28 / 10 / 2025

वउनवान

1. ललराम पुत्र श्री किशनलाल जाति जाटव निवासी सुण्डियान तहसील कठूमर जिला अलवर।

––प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर जिला अलवर।

––– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम– 1956

उपस्थितिः–1.नीरज कुमार शर्मा– अधिवक्ता प्रार्थी

–:निर्णयः–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यु एक्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आ0 ख0 न0 251, वाके ग्राम सुण्डियाना तहसील कठूमर में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का नाम प्रभाती पुत्र किशनलाल न होकर लालाराम पुत्र किशनलाल है। प्रार्थी के राशनकार्ड, आधार कार्ड व अन्य पहचान पत्र के दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम लालाराम दर्ज है। राजस्व कर्मचारियान ने प्रार्थी का नाम लालाराम के स्थान पर प्रभाती गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम लालाराम के स्थान पर प्रभाती दर्ज रहने से प्रार्थी के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजी बाबत प्रभाती के स्थान पर लालाराम दुरूस्त कराने को कहा तो उसने साफ इन्कार कर दिया। अतः प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त आराजो के राजस्व रेकार्ड में प्रभाती पुत्र किशनलाल के स्थान पर लालाराम पुत्र किशनलाल दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिय नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी दिनांक 28.10.2025 को बाबजूद रजिस्टर डाक सूचना के अनुपस्थित आये उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की ताइद में जमाबन्दी हाल, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, जन आधार कार्ड पेश किये है, जो शामिल पत्रावली है।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी जिसमें प्रार्थी का नाम प्रभाती पुत्र किशनलाल न होकर लालाराम पुत्र किशनलाल है। प्रार्थी के राशनकार्ड, आधार कार्ड व अन्य पहचान पत्र के दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम लालाराम दर्ज है। राजस्व कर्मचारियान ने प्रार्थी का नाम लालाराम के स्थान पर प्रभाती गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम लालाराम के स्थान पर प्रभाती दर्ज रहने से प्रार्थी के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजी बाबत प्रभाती के स्थान पर लालाराम दुरूस्त कराने को कहा तो उसने साफ इन्कार कर दिया। अतः प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में प्रभाती पुत्र किशनलाल के स्थान पर लालाराम पुत्र किशनलाल दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।

ऐसी दुरूस्ती से राज्य हित प्रभावित हो सकता है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व की बहस पर मनन करने पर यह पाया गया कि प्रार्थी का नाम हाल राजस्व रेकार्ड में लालाराम पुत्र किशनलाल दर्ज है। ऐसी दुरूस्ती से राज्य हित प्रभावित नही होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित ना होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 251, वाके ग्राम सुण्डियाना तहसील कठूमर में प्रार्थी का नाम प्रभाती पुत्र किशनलाल के स्थान पर लालाराम पुत्र किशनलाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

है। तहसीलदार कठूमर को आदेश दिया जाता है कि वो उक्तानुसार हाल जमाबन्दी में संशोधित इन्द्राज करे। आदेश की प्रति तहसीलदार कठूमर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्यामसुन्दरचेतीवाल(आर.ए.एस.)
उपखण्डअधिकारीकठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज.